झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

इच्छा की अभिव्यक्ति

1. **प्रस्तावनाः**— झारखण्ड राज्य एक वन प्रधान राज्य हैं। यहाँ का लगभग 33 प्रतिशत भू–भाग वन से आच्छादित हैं। इनमें महुआ, लाह, इमारती लकड़ी, चिरौंजी, रेशम पालन वृक्ष, बांस, मधु, तेन्दु पत्ता, विभिन्न प्रकार के जड़ी–बूटी आदि बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यहाँ करंज पेड़ से निकाले गये ऑर्गेनिक मधु औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिसकी मांग राज्य एवं राज्य से बाहर काफी अधिक हैं। बांस से बने अचार, विभिन्न सजावटी एवं घेरेलू उपयोग की सामग्री का उत्पादन स्थानीय कुटीर उद्यमियों/हस्तशिल्पियों द्वारा किया जाता है। यहाँ के ग्रामीण निवासियों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन यही वनोउत्पाद है। इनकी मांग राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर काफी अधिक है। राज्य में भगैया, पोखरीकलां, पाकुड़, नेतरहाट, लोहरदगा में अच्छी संख्या में कुशल बुनकर है, जो खादी, सूती एवं मुख्य रूप से तसर सिल्क के विभिन्न उत्पादों यथा धोती, साड़ी, लूंगी, गमछा, चादर, कुर्ता, बंडी, स्टाल, दुपट्टा, टाई, बैग, सलवार सूट आदि का अच्छी गुणवत्ता का बुनाई/उत्पादन करते है। भगैया, गोड्डा के सिल्क उत्पाद की काफी मांग हैं। राज्य में जादोपटिया, पैंतकर एवं कोहबर पेंटिंग एवं पीतल धातु से विभिन्न प्रकार के उत्पाद/प्रतीक चिन्ह आदि बनाने वाले हस्तशिल्पियों की अच्छी संख्या है। विदित हो कि झारखण्ड राज्य तसर सिल्क के उत्पादन के देश में प्रथम स्थान रखता है। इसके मुख्य प्रक्षेत्र कोल्हान एवं संथालपरगना संभाग हैं। इसके अतिरिक्त राँची के बेड़ो एवं अन्य स्थानों पर तसर रेशम के कीट पालन एवं कोकून उत्पादन का कार्य होता है। राज्य में हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों की अच्छी संख्या हैं। ये अपने हूनर के बल पर अपने उत्पाद को राज्य एवं देश के अन्य भागों में बिक्री करते है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न मेला प्रदर्शनियों में राज्य की भागीदारी के क्रम में इन हस्तशिल्पियों/ बुनकर/कुटीर उद्यमियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर की भागीदारी कराई जाती रही है। इससे इन्हे अपने उत्कृष्ट उत्पाद के प्रचार प्रसार एवं बिक्री का एक अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध हो जाता हैं, जो इनके आय संवर्द्धन में सहायक होता है। भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र विशेष के उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाना है।

2. **<u>कुटीर उद्यमियों/हस्तशिल्पियों (वेंडरा) को सूचीबद्ध (empanel) किये जाने की आवश्यकता क्यों?</u>** – विभिन्न प्रायोजक संस्थानो/विभाग/राज्यों द्वारा राज्य एवं राज्य से बाहर विभिन्न मेला/प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में उद्योग विभाग द्वारा भागीदारी के क्रम में राज्य के कुटीर/लघु उद्यमियेां, हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर उन्हे अपने उत्कृष्ट उत्पाद के प्रचार–प्रसार, बिक्री एवं बाजार विस्तार हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है। इस निमित राज्य के कुटीर/लघु उद्यमियों, हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को सूचीबद्ध (empanel) किये जाने की आावश्यकता महसूस की जा रही है। इससे राज्य के सुपात्र, सुयोग्य एवं उत्कृष्ट उत्पाद वाले उद्यमियों/हस्तशिल्पियों को पारदर्शी तरीके से समानता के आधार पर स्टॉल आवंटन किया जाना है। अतः राज्य के इच्छुक कुटीर/लघु इकाईयों, हस्तशिल्पियों, बुनकरों आदि से निम्न विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। उक्त से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में अंकित कर यथाशीघ्र उद्योग निदेशालय, उद्योग निदेशालय, नेपाल हाउस, डोरण्डा में जमा करे ताकि आपको सूचीबद्ध(empanel) किया जा सके।

3. **<u>कुटीर उद्यमियों/हस्तशिल्पियों के चयन हेतु विभिन्न क्रियाकलाप/उत्पाद का विवरणः–</u>**

बांस निर्मित घरेलू एवं सजावटी सामग्री

मधु उत्पादन एवं प्रसंस्करण

लाह प्रसंस्करण एवं लाह से निर्मित विभिन्न उत्पाद

जनजाति आभूषण एवं परिधान निर्माण

विभिन्न प्रकार के अचार, बरी, पापड़ निर्माण

सिल्क,खादी एवं हैण्डलूम मे विविध उत्पाद

जड़ी–बुटी एवं इससे निर्मित उत्पाद

हस्तशिल्प कलाकृति,स्मृति चिन्ह एवं विभिन्न पेंटिंग

दरी एवं कालीन निर्माण

जूट से संबंधित उत्पाद

आर्टिफिसियल ज्वेलरी एवं हस्तनिर्मित विविध उत्पाद

कपड़े पर कसिदकारी एवं अन्य घरेलू उपयोग की सामग्री का निर्माण

राज्य अन्तर्गत निर्मित अन्य उत्पाद

4. **<u>आवेदन की योग्यता–</u>** झारखण्ड राज्य के अंतर्गत वैसे उद्यमी, हस्तशिल्पी या बुनकर जिनका राज्य में उत्पादन केन्द्र है एवं वे अपने उत्पाद को राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेला एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से क्रय एवं विक्रय करना चाहतें हैं, वैसे इच्छुक उद्यमी 31.08.2023 तक अपना आवेदन उद्योग निदेशालय, तिसरा तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्ड, राँची–834002 में समर्पित कर सकते हैं। विभागीय स्तर पर पूरे राज्य में वैसे उद्यमियों को सूचीबद्ध (empanel) किया जाएगा, तत्पश्चात् उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेला/प्रदर्शनियों में उन्हें निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा।

   उक्त क्रियाकलाप से संबंधित उत्पाद या खरीद–विक्री इच्छुक कुटीर उद्यमी/हस्तशिल्पी जो राज्य में उत्पादन करता हो, अपने को सूचीबद्ध (empanel) करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

5. **<u>चयन की प्रक्रिया:</u>** चयन का आधार स्कोरिंग प्रक्रिया से होगी जिसमें संबंधित जिले के महाप्रबंधक,जिला उद्योग केन्द्र द्वारा एक जांच समिति गठित की जाएगी जिसका अध्यक्ष मह्यपबंधक होंगे। समिति आवेदित इकाई का भौतिक निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण का बिन्दु वेंडर का टर्नओवर, बैंक ऋण का किस्त भुगतान की अद्यतन स्थिति, उत्पाद की गुणवत्ता, विभिन्न प्रदर्शनियों में भागीदारी का कार्यानुभव से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अपने सुस्पष्ट मंतव्य के साथ आवेदक आवेदन उपलब्ध करायेंगे जिसपर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

6. आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का फोटो

1. आवेदक/संस्था/का नामः–.....
2. आवेदक के पिता/पति का नामः–.....
3. आवेदक का पूर्ण स्थायी पताः–.....
   .....
4. कार्यकलाप/उत्पाद का विवरण एवं रंगीन फोटोग्राफः–
5. आवेदक का श्रेणी/कैटेगरीः–.....
6. आवेदक यदि पी0एमई0जी0पी0 आदि योजना से वित्त पोषित है, तो उल्लेख करें:.....
   .....
   .....
   .....
7. पिछले पांच वर्ष में मेला/प्रदर्शनी में भागीदारी का अनुभवः–.....
   .....
   .....
8. फोन/मोबाईल नं0/ईमेलः–.....
9. पिछले तीन वितीय वर्ष का टर्नओभरः–
   क) 2020–21
   ख) 2021–22
   ग) 2022–23

आवेदक/संस्था द्वारा यदि किसी वितीय संस्थान/समिति/सोसाईटी से किसी प्रकार का ऋण लिया गया है, तो ऋण भुगतान का अद्यतन विवरण दें।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः–यदि आवेदक द्वारा आवेदन में गलत सूचना/प्रविष्टि की दी जाती है और जांच में इसकी सम्पुष्टि हो जाती है तो उनके आवेदन को खारीज कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदक इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध किसी तरह का वित्तीय, दिवानी एवं फौजदारी मामला नहीं है।

7. <u>आवेदन के साथ निम्नलिखित स्वहस्ताक्षरित अभिलेख/कागजात संलग्न करें:–</u>
    1. आधार कार्ड
    2. उद्यम आधार
    3. आर्टिजन क्रेडिट कार्ड
8. **Empanelment** की अधिकत्तम अवधि पांच वर्ष होगी। यदि कोई वेंडर इच्छा की अभिव्यक्ति के अनुकूल और पारदर्शी तरीके का कार्य नही करता है तो उसे बिना किसी सूचना के पैनल से बाहर कर दिया जाएगा।
9. <u>नोटः–</u> **Empanelment** करने का उद्देश्य किसी भी मेला या प्रदर्शनी में स्टॉल की उपलब्धता के आधार पर आपको भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करना है। इस क्रम में पारदर्शिता के आधार पर सभी को समान अवसर भी प्रदान करना है। सूचीबद्ध (empanel) का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मेला/प्रदर्शनी में सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्टॉल का आवंटन स्टॉल की उपलब्धता, मेले की प्रकृति के अनुसार समानता के आधार पर की जाएगी। सूचीबद्ध (empanel) कुटीर उद्यमियों/हस्तशिल्पियों के उत्पाद की गुणवत्ता का समय–समय पर जाँच की जाएगी।

<u>संपर्क करें–</u>

अधिक जानकारी के लिए श्री सीताराम पासवान, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, नेपाल हाउस, तृतीय तल, डोरण्डा, राँची–834002 के दूरभाष संख्या– 9693364055, वेवसाईट– https://jharkhand.gov.in/industries

सत्यापन प्रमाण पत्र

1. उद्यमी / हस्तशिल्पी / समिति का नामः

2. उद्यमी / हस्तशिल्पी / समिति का पूर्ण पताः

(क) घर का पताः

3. कार्यकलाप / उत्पाद की विवरणीः

(क) इकाई / केन्द का पता जहाँ केन्द्र संचालित हैः:

(ख) इकाई / केन्द के भूमि की विवरणीः:

(ग) कार्यरत व्यक्ति पुरूष एवं महिला की संख्याः

(घ) उत्पादित सामग्री का नामः

(ग) उपलब्ध उत्पादित सामग्री की मात्राः

(ग) उत्पादन हेतु अधिष्ठापित मशीन / उपकरण की संख्या एवं प्रकारः

4. विभिन्न मेला/प्रदर्शनियों में भागीदारी का विवरणः

(क) मेला का प्रकार एवं स्थानः:

(ख) राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरः

5. केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनान्तर्गत बैंक/वित्तीय संस्थान/समिति से लिए गये ऋण एवं वापसी की अद्यतन स्थितिः

(क) वित्तीय संस्थान/समिति का नाम एवं पताः:

(ख) ऋण का प्रयोजनः:

(ग) ऋण की राशि एवं वर्षः:

(घ) ऋण वापसी की अद्यतन स्थितिः

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की स्थलीय जाँच कर ली गई है एवं सही पाया गया है।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र
.....
(सील/मुहर के साथ)